न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

वाद संख्या :– 02 / 267 / 2013

धर्मचन्द बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 31.05.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.10.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 162 / 0.05 है. वाके ग्राम पावटा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 31.12.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। असल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 01 में ग्राम पावटा में उक्त आराजी निवास या बास किस्म गैर–मुमकिन धर्मशाला दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत जवाब पैरोकार व हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी के अंकित इन्द्राज के अनुसार प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 162 / 0.05 है. वाके ग्राम पावटा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 29.10.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)